भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **2043**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक उत्पादन क्षमता

2043. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में उर्वरकों की वर्तमान उत्पादन क्षमता का ब्यौरा है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के कुल उत्पादन सहित तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उर्वरक राजसहायता प्रणाली को विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों के लिए और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने जमीनी स्तर पर रबी और खरीफ की फसलों की अधिकतम मांग वाले मौसम के दौरान उर्वरकों का प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): देश में उर्वरकों की वर्तमान उत्पादन क्षमता और 2021-22 से 2023-24 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के कुल उत्पादन का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

उत्पाद का नाम	01/04/2024 की स्थिति के अनुसार उर्वरकों की उत्पादन क्षमता ('एलएमटी' में)	सभी उर्वरकों का उत्पादन		
		2021-22	2022-23	2023-24
यूरिया	283.77	250.72	284.94	314.09
डीएपी	53.88	42.22	43.47	42.93
एनपीके	123.17	89.67	100.40	101.85

(ख): सरकार ने किसानों के लिए विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में उर्वरक सब्सिडी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उर्वरक प्रणाली में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के अंतर्गत प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस (प्वाइंट आफ सेल) उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। तदनुसार, देश भर में सभी किसान (पिछड़े क्षेत्रों के किसानों सहित) 3.42 लाख उर्वरक खुदरा दुकानों से उर्वरक खरीदते हैं, सब्सिडी का लाभ प्राप्त करते हैं। उर्वरक क्रेताओं को आधार से जुडे मोबाइल नम्बर पर एसएमएस प्राप्त होता है जिसमें सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की प्रत्येक खरीद पर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सब्सिडी की राशि होती है।

इसके अतिरिक्त, 'उर्वरकों में डीबीटी' ने लाभार्थियों का आधार सीडेड डेटाबेस बनाया, अंतिम बिंदु/खुदरा बिंदु पर लेनदेन की दृश्यता बनाई और खुदरा बिंदुओं पर उर्वरकों की सहज और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मूल्य श्रृंखला अर्थात उत्पादकों से लाभार्थियों तक उर्वरकों के संचलन की ट्रैकिंग को पारदर्शी और तेज बनाया।

(ग): रबी और खरीफ फसलों की व्यस्ततम मांग वाले मौसम के दौरान जमीनी स्तर पर उर्वरकों का प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

v. उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम के लिए आयात को भी पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है।

तथापि, राज्य के अंदर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण करने का अधिदेश राज्य सरकार को प्राप्त है।

******